बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1
(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक– 23 दिनांक 27/7/2007

सेवा में,
सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः श्री अशोक कुमार, बि0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-1989/99) को निलम्बन से मुक्त करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ''संघ'' को यह कहना है कि श्री अशोक कुमार, बि0प्र0से0 तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टिकारी (गया) के विरूद्ध टिकारी थाना कांड संख्या-15/06 के तहत इन्हें कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या-5706, दिनांक 17.06.2006 के द्वारा दिनांक 6.2.06 के प्रभाव से निलम्बित किया गया ।

2. उक्त काण्ड में न्यायालय द्वारा दिनांक 2.11.06 से जमानत पर रिहा होने के बाद इन्होने कार्मिक एवं पशासनिक सुधार विभाग में योगदान दिया । पुनः विभागीय संकल्प संख्या-11189, दिनांक 6.11.06 के द्वारा दिनांक 6.2.06 के प्रभाव से इन्हें निलम्बित कर दिया गया । श्री कुमार अबतक निलम्बित है ।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के भाग-IV के नियम-9 के उप नियम (7) के तहत प्रावधान है कि :- ''निलंबनादेश के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के भीतर आरोप पत्र गठित कर दिया जायेगा जिसके नहीं होने पर तीन माह की समाप्ति पर निलंबनादेश वापस लिया जायेगा जबतक कि निलंबनादेश निर्गत करने वाला प्राधिकार आरोप पत्र के नामित किये जाने में विलम्ब के कारणों को अभिलिखित करते हुये अगले चार माह तक के लिये निलम्बन को नवीकृत करने संबंधी आदेश पारित न करे; परन्तु यह कि विस्तारित चार माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यदि आरोप पत्र गठित नहीं किया जाता है तो निलम्बनादेश स्वतः वापस ले लिया गया समझा जायेगा ।''

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष

कृष्ण मुरारी शर्मा

☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव

विपिन कुमार सिन्हा

☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष

भगलू रजक

सोहैब अहमद

संयुक्त सचिव

केशव कुमार सिंह

केशव रंजन प्रसाद

कोषाध्यक्ष

महेश प्रसाद गुप्ता

☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक–

दिनांक.............................

विदित हो कि श्री कुमार के निलम्बन के करीब 9 महीने बीत जाने के उपरान्त अबतक निलम्बन आदेश वापस नहीं लिया गया है जबकि निलंबन आदेश निर्गत करने वाले प्राधिकार के द्वारा आरोप-पत्र गठित नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में नियम-9 के उप नियम-7 के तहत इनका निलंबन आदेश स्वतः वापस ले लिया गया समझा जाना चाहिए ।

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-13874/06 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा भी इस आलोक में न्यायादेश पारित करते हुये निलम्बन आदेश को निरस्त कर दिया गया है (न्यायादेश की छाया प्रति संलग्न) ।

उपर्युक्त परिस्थिति में ''संघ'' का अनुरोध होगा कि श्री कुमार के विरूद्ध निर्गत निलम्बन आदेश को शीध्र वापस लेने की कृपा की जाय । साथ-ही-साथ ''संघ'' यह भी अपेक्षा करेगा कि इस प्रकार के जितने भी मामले है उसकी समीक्षा कर बिहार सरकारी सेवक नियमावली-2005 के प्रावधानों के तहत निलम्बन आदेश वापस लिये जाये ।

27/7/07

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

(कृष्ण मुरारी शर्मा)
अध्यक्ष